कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 08/2020-21/

दिनांक : /01/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक,

जनपद – पौड़ी गढ़वाल ।

विषय : नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद- पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 04/2019 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **05** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 14 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 08/2020-21/ दिनांक: /01/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः /2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजवेश भट्ट, व. लेखापरीक्षक एवं श्री नित्यानंद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.01.2020 से 01.02.2020 तक श्री आर. के. जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई थी।

2- **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**-:

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **8.0 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **4,669 (2011 की जनसंख्या के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **01 बैठक।**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **00**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **02 नियमित तथा 44 अस्थायी।**

(vii) नगर पंचायत की संपत्तियाँ: **00**

(viii) नगर पंचायत के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ, बजट निगम बोर्ड से पारित हुआ है।**

कार्यालय नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	220000	1493000	1713000	1713000	0
2	राज्य वित्त आयोग	0	12500000	12500000	3896250	8603750
3	अवस्थापना विकास निधि	4249105	0	4249105	1786295	2462810
4	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	0	50000	50000	0	50000
5	चारधाम यात्रा मद	0	0	0	0	0
6	अर्धकुम्भ मेला	1506501	0	1506501	419275	1087226
7	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1448000	0	1448000	0	1448000
8	जनगणना अनुदान	0	0	0	0	0
9	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	246424	1839760	2086184	2086184	0
10	विधायक निधि	0	676000	676000	0	676000
11	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
12	NULM	0	0	0	0	0
	कुल योग	**7670030**	**16558760**	**24228790**	**9901004**	**14327786**

कार्यालय नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5941000	5941000	3158133	2782867
2	राज्य वित्त आयोग	8603750	7500000	16103750	11849855	4253895
3	अवस्थापना विकास निधि	2462810	0	2462810	2025244	437566
4	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	50000	25000	75000	38270	36730
5	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
6	अर्धकुम्भ मेला	1087226	0	1087226	35363	1051863
7	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1448000	0	1448000	0	1448000
8	जनगणना अनुदान	0	131023	131023	131008	15
9	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	0	1343177	1343177	1096051	247126
10	विधायक निधि	676000	0	676000	115937	560063
11	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	395000	395000	0	395000
12	NULM	0	50000	50000	0	50000
	कुल योग	**14327786**	**15485200**	**29812986**	**18549861**	**11263125**

भाग-I

कार्यालय नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जोंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान अवमुक्त/व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त योजना	2782867	5379000	8161867	3492565	4669302
2	राज्य वित्त योजना	4253895	7500000	11753895	10749700	1004195
3	अवस्थापना विकास निधि	437566	0	437566	384500	53066
4	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	36730	50000	86730	11200	75530
5	स्वच्छ भारत मिशन (सार्वजनिक सौचालय)	0	4358000	4358000	0	4358000
6	प्रधानमंत्री आवास योजना	395000	0	395000	320024	74976
7	NULM	50000	20000	70000	40012	29988
8	जनगणना अनुदान	15	0	15	0	15
9	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
10	अर्धकुंभ मेला 2016	1051863	0	1051863	94400	957463
11	ठोस अपशिष्ट योजना	1448000	0	1448000	754411	693589
12	विधायक निधि	560063	0	560063	529663	30400
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	247126	1321186	1568312	1319056	249256
	कुल योग	**11263125**	**18728186**	**29991311**	**17795531**	**12195780**

भाग-I

कार्यालय नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, पौड़ी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	केन्द्रीय वित्त आयोग	220000	1493000	1713000	1713000	0
2018-19	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5941000	5941000	3158133	2782867
2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	2782867	537900	8161867	3492565	4669302
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	0	50000	50000	0	50000
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	50000	25000	75000	38270	36730
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	36730	50000	86730	11200	75530
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	395000	395000	0	395000
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	395000	0	39500	320024	74976

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 01 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्राप्त ₹1.72 करोड़ की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 699/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 12 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं शासनादेश संख्या 924/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2018/19 दिनांक 20 नवम्बर 2019 द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग तथा शहरी विकास निदेशालय के विभिन्न पत्रों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ` 1.72 करोड़ की धनराशि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक को आवंटित की गई थी। उक्त धनराशियों का विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**प्राप्त धनराशि**
01	केन्द्रीय वित्त योजना	5379000
02	राज्य वित्त योजना	7500000
03	स्वच्छ भारत मिशन (सार्वजनिक शौचालय)	4358000
	कुल योग	**17237000**

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों के लेखा-अभिलेखों जांच में पाया गया कि उक्त प्राप्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को मार्च 2020 तक प्रेषित कर दिए जाएं, परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशियों के प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किए गए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त योजनाओं में प्राप्त ₹ 1.72 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष कोई भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र कोविड-19 महामारी के कारण निदेशालय/शासन को नहीं प्रेषित किए गए थे। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेशानुसार प्राप्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2020 तक प्रेषित कर दिए जाने थे।

अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्राप्त ₹ 1.72 करोड़ की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 02 अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि ₹ 733190/- का अन्य निर्माण कार्य पर अनियमित व्यय।

अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1286/IV(2)-श.वि.-2015-94(सा.)14 दिनांक 03 अक्टूवर 2015 द्वारा नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक को श्री गंगा सिंह नेगी के घर के समीप से भूतनाथ मंदिर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 20.77 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या ॥ के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी तथा बिन्दु संख्या XIV के अनुसार उक्त धनराशि का मार्च 2016 तक पूर्ण उपयोग कर उसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाए।

कार्यालय नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के अवस्थापना विकास निधि से सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों की लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु इकाई द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2016 को ठेकेदार के साथ स्वीकृत दरों से 0.5 *प्रतिशत* कम अर्थात ₹ 2066615/- की धनराशि पर अनुबंध कर दिनांक 16 जनवरी 2017 को कार्यादेश जारी किया गया। आगे अभिलेखों में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य को अनुबंधित धनराशि ₹ 20.67 लाख के सापेक्ष ₹ 1330859/- में ही पूर्ण कर लिया गया। अवशेष बची धनराशि ₹ 733190/- से नगर पंचायत ने बिना कोई शासन से स्वीकृति लिए एक अन्य कच्चा मार्ग जो कि श्री गंगा सिंह नेगी के मकान के समीप से नटराज योगपीठ तक जाता है, को अवशेष बची धनराशि से निर्माण करा लिया गया। नियमानुसार इकाई को अवशेष बची धनराशि को शासन को समर्पित कर देना चाहिए था परंतु इकाई ने ऐसा न कर अन्य निर्माण कार्य करा लिए।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि अवशेष धनराशि से कार्य कराने हेतु शासन से पृथक रूप से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत सभी निर्माण कार्य शासन द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं परंतु इकाई द्वारा उक्त योजना में अवशेष बची धनराशि से बिना शासन से अनुमति प्राप्त किए एक अन्य निर्माण कार्य करा दिया गया जो कि नियमानुसार सही नही है।

इस प्रकार, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि ₹733190/- का अन्य निर्माण कार्य पर अनियमित व्यय संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 03 दिशा-निर्देशों के विपरीत विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 1.15 लाख की धनराशि को उचित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 347/वि.आ.नि.दे. (तृ.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार के अनुसार विभिन्न श्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि (जैसेः राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई, मनरेगा इत्यादि) पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण श्रोतवार उपलब्ध करवाते हुए ब्याज की धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 16/xxvii (14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के अनुसार पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, जिस पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियां शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज से संबंधित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु खोले गए बैंक खातों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न मदों में **₹ 1.15 लाख** अर्धकुम्भ मेला 2016 ₹ 43682 + अवस्थापना विकास निधि ₹ 71726 की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त ब्याज की धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा नहीं कराया गया था।

उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में उक्त धनराशि को जमा नहीं कराया गया था, उक्त समस्त अर्जित ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र उचित लेखाशीर्षक में जमा करा दिया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को उचित लेखाशीर्षक में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों के विपरीत बैंक खातें में अर्जित ब्याज की धनराशि **₹ 1.15 लाख** को उचित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः04 द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण के लिए गठित अनुबन्ध की शर्तो के अनुपालन में संस्था द्वारा संग्रहीत यूजर चार्जेज की धनराशि ₹ 5.01 लाख वसूल न किया जाना।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकाय इस अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के भीतर उपविधियां बनाकर तद्नुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें नगर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी वस्तियों, अनौपचारिक बसावटों व अन्य सभी घरों, आवासों व परिसरों से ठोस अपशिष्ट का द्वार द्वार संग्रहण, ढुलाई तथा उसका निस्तारण की व्यवस्था किया जाना है। इकाई द्वारा पंचायत क्षेत्रांतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015 का गठन किया गया जो कि प्रकाशन की तिथि 08 फरवरी 2018 से प्रभावी था। उक्त विधि में घर घर कूडा संग्रहण के लिए विभिन्न मदों हेतु यूजर चार्जेज की दरें निर्धारित की गयी थी।

नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जोंक के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूडा एकत्रतीकरण, कूडे की छंटाई, कम्पोस्टिंग एवं निस्तारण सम्बन्धी कार्यो के लिए बिना किसी निविदा प्रक्रिया का पालन किये सीधे स्वच्छ सुलभ फाउण्डेशन संस्था के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 14 सितम्बर 2016 को अनुबन्ध गठित किया गया। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार संस्था द्वारा पंचायत परिधि के भीतर उत्पन्न आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों के जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट का संग्रह कर डम्पिंग ग्राउण्ड पर डम्प करने का कार्य किया जाएगा तथा कूडे के एकत्रीकरण, छंटाई व कम्पोस्टिंग स्थल पर जैविक कूडे के कम्पोस्टिंग करने/ निस्तारण करने के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा। बिन्दु 07 के अनुसार एकत्रित कूडे की नित्यप्रति या साप्ताहिक अलग अलग छटाई कर जैविक-अजैविक कूडा अलग अलग किया जायेगा एवं जैविक कूडे को वैज्ञानिक विधि से निस्तारित किया जायेगा। बिन्दु 13 के अनुसार संस्था द्वारा वसूल की गयी यूजर चार्ज की सम्पूर्ण धनराशि में से 70 *प्रतिशत* पर द्वितीय पक्ष अर्थात संस्था का तथा शेष 30 *प्रतिशत* भाग पर प्रथम पक्ष का अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 प्रतिशत धनराशि प्रथम पक्ष को मासिक रुप से उपलब्ध करायी जाएगी।

इकाई के अनुबन्ध तथा यूजर चार्जेज से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तो के अनुपालन में सम्बद्ध संस्था द्वारा वसूल की गयी यूजर चार्जेज का विवरण प्रत्येक माह इकाई को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी और न ही पंचायत अंश 30 प्रतिशत की धनराशि नियमित रुप से पंयायत में जमा की जा रही थी। पंचायत कार्यालय द्वारा इस हेतु किसी पंजिका का निर्माण भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी विवरण के अनुसार सम्बद्ध संस्था द्वारा अनुबन्ध की तिथि सितम्बर 2016 से मार्च 2020 की अवधि तक यूजर चार्जेज के रुप में धनराशि ₹ 18,14,951 की वसूली की गयी थी जिसमे से नगर पंचायत का 30 प्रतिशत अंश धनराशि ₹ 5,44,485 होता है। परन्तु वर्तमान तक संस्था द्वारा

वर्ष 2016-17 में केवल धनराशि ₹ 43,450 ही जमा की गयी थी। शेष धनराशि ₹ 5,01,035 की वसूली प्राप्त किया जाना विगत 04 वर्षो से अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है;

वर्ष	**वसूल की गयी कुल धनराशि**	**पंचायत का 30 प्रतिशत अंश**	**पं्ाचायत को जमा की गयी धनराशि**
2016-17	2,70,940	81,282	43,450
2017-18	7,54,621	2,26,386	Nil
2018-19	4,03,240	1,20,972	Nil
2019-20	3,86,150	1,15,845	Nil
कुल योग	**18,14,951**	**5,44,485**	**43,450**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बद्ध संस्था द्वारा वसूल की गयी यूजर चार्जेज की धनराशि में से पंचायत अंश के रुप में केवल वर्ष 2016-17 में मात्र 43,450 की धनराशि ही जमा की गयी थी। पंचायत अंश की धनराशि सम्बद्ध संस्था से प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था।

अभिलेखों की जॉच में आगे यह भी पाया गया कि संस्था द्वारा द्वार द्वार संग्रहण के समय कूडे को अलग अलग सूखा एवं गीले कूडे का संग्रहण किया जाता है किन्तु सभी कूडे को डम्पिंग जोन में एक साथ गिरा दिया जाता है। तद्उपरान्त उक्त कूडे से सूखे कूडे की छटाई की जाती है जिसका कि आगे उपयोग किया जा सके। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शेष कूडे का अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कोई वैज्ञानिक निस्तारण नहीं किया जाता और न ही किसी प्रकार से कम्पोष्ट पिट के माध्यम से ही खाद बनाने की कोई कार्य किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए इकाई द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था और इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा निदेशालय को प्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि यूजर चार्जेज की धनराशि की वसूली के लिए संस्था को नोटिस जारी की जा रही है। यह भी अवगत कराया कि कूडा निस्तारण स्थल पर कोई कम्पोस्टिंग पिट न होने के कारण कूडे का वैज्ञानिक रुप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

अतः द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण के लिए गठित अनुबन्ध की शर्तो के अनुपालन में संस्था द्वारा संग्रहीत यूजर चार्जेज की धनराशि ₹ 5.01 लाख वसूल न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर:05 संरचनात्मक ढांचे के सापेक्ष स्वीकृत सीमा से अधिक तैनाती आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने के फलस्वरूप राज्य वित्त से ₹ 31.10 लाख का अनियमित व्यय।

प्रदेश के नगर पंचायतों के पदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के संबंध मेंउत्तराखंड शासन के पत्र संख्या :- 759/iv(1)/2015-01(32)/2014 दिनांकित 12 जून 2015 के अनुसार :-

पालिका अकेन्द्रीयत सेवा के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों की सीमा तक शासन द्वारा निर्धारित आउटसोर्सिंग एजेंसी आदि के माध्यम से निकाय अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तैनाती करेगा।**(बिन्दु संख्या 5)**स्वीकृत ढांचे के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति की जाती है तो संबन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। **(बिन्दु संख्या 6)**स्वीकृत किए जा रहे पुनर्गठन ढांचे के पूर्व स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पद मृत संवर्ग (डाइंग केडर) घोषित होने के दृष्टिगत ढांचे मे ऐसे क्रमिकों में से परिचारक, चौकीदार, क्लीनर, बेलदार को बहुउद्देश्य निकाय कर्मी स्वीकृत किये गए हैं। वर्तमान में ऐसे कार्यरत कर्मियों की संख्या के अंतर तक ही बहुउद्देश्य कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। **(बिन्दु संख्या 7)**स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त नगर निकाय अपनी आवश्यकता/ आय स्रोतों के दृष्टिगत यदि किसी कार्मिक की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना चाहता है, तो इस हेतु संबन्धित निकाय द्वारा निदेशालय के माध्यम से शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। शासन की अनुमति पश्चात ही संबन्धित कार्मिक को मानदेय आदि का भुगतान संबन्धित नगर निकाय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाएगा । **(बिन्दु संख्या 10)**

उपरोक्त शासनादेश के अनुसार नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक हेतु स्वीकृत ढांचा एवं वर्तमान में नियुक्त व आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों का विवरण निमन्वत्त है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद		नियुक्त कर्मचारी	टिप्पणी
पालिका अकेन्द्रीयत सेवा					
01	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	01	शून्य	स्वीकृत से अधिक कर्मचारियों (01 से 03) को अनुबंध पर तैनात किया गया था।	
आउटसोर्सिंग					
02	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)	9 [1]	शून्य	स्वीकृत से अधिक कर्मचारियों (35 से 37) को अनुबंध पर तैनात किया गया था।	
03	अवर अभियंता [2]	शून्य	शून्य	पद स्वीकृत नहीं था परंतु 01 पद पर अनुबंध के माध्यम से तैनाती की गयी।	

[1] वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक की जनसंख्या 4669 थी। स्वीकृत ढांचे के अनुसार 4669 जनसंख्या पर 09(4669*2/1000=9.2) पर्यावरण मित्रों को आउटसोर्सिंग से तैनात किया जा सकता है।

[2] उपरोक्त के अतिरिक्त एक अवर अभियंता को भी आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किया गया है जबकि ढांचे में पद नहीं है।

आउटसोर्स कर्मचारियों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से तैनात अतिरिक्त कर्मचारियों को आधिक्य मे तैनात किया गया था । आधिक्य में तैनात कर्मचारियों को माह फरवरी से अक्तूबर 2020 तक ₹ 31,10,344/- (वेतन+जीएसटी) शासनादेशों के विरुद्ध अधिक भुगतान किया गया । दिये गए वेतन के सापेक्ष भुगतान तथा उस पर आरोपित सेवा एवं माल कर (जीएसटी) का विवरण संलग्न है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में कहा गया कि स्वर्गश्रम क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अतिरिक्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ती की गयी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष अधिक तैनाती शासनादेश का उलंघन थी साथ ही इस हेतु निदेशालय के माध्यम से शासन से पूर्वानुमाति भी प्रकट नहीं की गयी थी ।

अतः संरचनात्मक ढांचे के सापेक्ष स्वीकृत सीमा से अधिक तैनाती आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने के फलस्वरूप ₹ 31.10 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

इकाई द्वारा भुगतनित बिलों के आधार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष आधिक्य में अनुबंधित कर्मचारियों हेतु किए गए भुगतान की गणना

(समस्त धनराशि ₹ में)

कनिष्ठ अभियंता(स्वीकृत पद शून्य)

भुगतान का माह	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई2020	जून 2020	जुलाई 2020	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	अक्तूबर 2020
स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष आधिक्य में तैनात कर्मचारियों की संख्या	1	1	1	1	1	1	1	1	1
वेतन भुगतान की दर प्रति कर्मचारी प्रति माह	21390.40	21390.40	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00
कुल वेतन भुगतान	21390.40	21390.40	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00	21160.00
वेतन भुगतान के सापेक्ष GST@18%	3850.27	3850.27	3808.80	3808.80	3808.80	3808.80	3808.80	3808.80	3808.80
कुल भुगतान	25240.67	25240.67	24968.80	24968.80	24968.80	24968.80	24968.80	24968.80	24968.80
						फरवरी से अक्तूबर 2020 तक कुल भुगतान			**225262.94**

पर्यावरण पर्यवेक्षक (स्वीकृत पद 01)

भुगतान का माह	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई2020	जून 2020	जुलाई 2020	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	अक्तूबर 2020
स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष आधिक्य में तैनात कर्मचारियों की संख्या	1	1	1	1	2	2	3	2	2
वेतन भुगतान की दर प्रति कर्मचारी प्रति माह	12032.10	12032.10	12500.27	12500.27	12500.27	12500.27	12500.27	12500.27	12632.52
कुल वेतन भुगतान	12032.10	12032.10	12500.27	12500.27	25000.54	25000.54	37500.81	25000.54	25265.04

वेतन भुगतान के सापेक्ष GST@18%	2165.78	2165.78	2250.05	2250.05	4500.10	4500.10	6750.15	4500.10	4547.71
कुल भुगतान	14197.88	14197.88	14750.32	14750.32	29500.64	29500.64	44250.96	29500.64	29812.75
						फरवरी से अक्तूबर 2020 तक कुल भुगतान			220462.01

पर्यावरण मित्र (स्वीकृत पद 09)

भुगतान का माह	**फरवरी 2020**	**मार्च 2020**	**अप्रैल 2020**	**मई2020**	**जून 2020**	**जुलाई 2020**	**अगस्त 2020**	**सितम्बर 2020**	**अक्तूबर 2020**
स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष आधिक्य में तैनात कर्मचारियों की संख्या	28	28	28	28	27	27	27	26	26
वेतन भुगतान की दर प्रति कर्मचारी प्रति माह	1163.03	1163.03	11585.10	11585.10	11585.10	11585.10	11585.10	11585.10	11717.35
कुल वेतन भुगतान	32564.84	32564.84	324382.80	324382.80	312797.70	312797.70	312797.70	301212.60	304651.10
वेतन भुगतान के सापेक्ष GST@18%	5861.67	5861.67	58388.90	58388.90	56303.59	56303.59	56303.59	54218.27	54837.20
कुल भुगतान	38426.51	38426.51	382771.70	382771.70	369101.29	369101.29	369101.29	355430.87	359488.30
						फरवरी से अक्तूबर 2020 तक कुल भुगतान			2664619.45

पदों के सापेक्ष कुल अधिक भुगतान

कनिष्ठ अभियंता	225262.94
पर्यावरण पर्यवेक्षक	220462.01
पर्यावरण मित्र	2664619.45
कुल अनियमित भुगतान	3110344.41

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के वित्तीय वर्ष 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री सुमित आनंद, श्री राजवेश भट्ट, व. लेखापरीक्षक एवं श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12..2020 से 18.12.2020 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	108/2015-16	शून्य	02 से 03	शून्य	
02	109/2017-18	शून्य	01 से 03	शून्य	
03	110/2019-20	शून्य	01 से 04	शून्य	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

सामान्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

शून्य

3- सतत अनियमितताएं-

(i) अर्द्धकुंभ मेला 2016 के अवशेष धनराशि का शासन को न लौटाया जाना।

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री मोहन प्रसाद गौड़	अधिशासी अधिकारी	01.02.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II